

29-5-18

पकावली आज सुबह कोर्ट भाटीवाड में पेस
 हुई। प्रकरण से संबंधित वाड फल का निष्कारण
 हो चुका है तथा प्राथमिक डिंडी जारी ही जा
 चुकी है। प्रकरण में प्रतिवादीगण को कोर्ट में
 अस्थाई निषेधाज्ञा से बाधित किया जाता है
 कि वाड फल से अनिश्चित निष्कारण तक रजिस्ट्रार
 विवाद एवं मोका की प्रथा स्थगित बनाये रखें,
 तदुपलक्ष्य उद्वेगकारी प्राथमिक डिंडी की
 पालना से विधे स्वतंत्र रहें।

पकावली के लिये अग्रिम होकर नजर से
 फल हो तथा दायरे लक्ष्य हो।

अभि